



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23042025-262643
CG-DL-E-23042025-262643

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1809]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 23, 2025/वैशाख 3, 1947

No. 1809]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 23, 2025/VAISAKHA 3, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2025

सं. 27/2025 – सीमाशुल्क (गै.टै.)

का.आ. 1842(अ).— सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (घ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 64/1994-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 21 नवंबर, 1994, जिसे का. आ. 831 (अ), दिनांक 21 नवंबर, 1994 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और आगे भी संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, महाराष्ट्र राज्य से सम्बंधित क्रम संख्या 9 के समक्ष, कॉलम (3) में, प्रविष्टि (51) के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टि को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथा :-

“(52) रोहिणी यार्ड जेटी, रोहिणी गाँव, रायगढ़”

[फा. सं. सीबीआईसी-52/60/2024]

सुप्रिया चंद्रन, अवर सचिव

टिप्पणी:- प्रधान अधिसूचना संख्या 64/94-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 21 नवंबर, 1994 को का. आ. 831(अ), 21 नवंबर, 1994 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया था तथा इसमें अंतिम बार भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 87/2019-सीमाशुल्क (गै.टे.) दिनांक 2 दिसम्बर, 2019 का. आ. 4333 (अ), दिनांक 2 दिसम्बर, 2019 द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd April, 2025

No. 27/2025 – Customs (N.T.)

S.O. 1842(E).— In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of the section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following further amendments in the Notification No. 64/1994-Customs (N.T.) dated the 21st November, 1994 of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 831 (E), dated the 21st November, 1994, namely:-

In the said notification in the Table, against serial number 9 relating to the State of Maharashtra, in column (3), after entry (51) in column (3), the following entries shall be inserted, namely: -

“(52) Rohini Yard Jetty, Rohini Village, Raigad”

[F. No. CBIC-52/60/2024]

SUPRIA CHANDRAN, Under Secy.

Note:- The principal notification No.64/94-Customs (N.T.), dated the 21st November, 1994 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 831 (E), dated the 21st November, 1994 and was last amended by notification number 87/2019-Customs (N.T.) dated the 2nd December, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 4333 (E), dated the 2nd December, 2019.